





(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण  
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.  
62/2024

तारीख दायर  
13/05/2024

तारीख फैसला  
13/01/2025

1. अजीत सिंह पुत्र वीरीसिंह जाति जाट निवासी राजीव, कौलोनी, मथूरा रोड, भरतपुर, जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी धूलारावजी तहसील आंधी।
2. कृष्ण पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी धूलारावजी तहसील आंधी।
3. पप्पूलाल पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी धूलारावजी तहसील आंधी।
4. मजू पुत्री नाथूलाल जाति माली निवासी धूलारावजी तहसील आंधी।
5. कौशलया पत्नि सोहनलाल जाति माली निवासी किशनपुरा, तहसील बस्सी।
6. महादेव पुत्र सुखा जाति माली निवासी किशनपुरा, तहसील बस्सी।
7. हनुमान पुत्र छोटू जाति माली निवासी किशनपुरा, तहसील बस्सी।
8. रामकरण पुत्र स्व० गैदालाल जाति माली निवासी किशनपुरा, तहसील बस्सी।
9. रोहिताश पुत्र स्व० गैदालाल जाति माली निवासी किशनपुरा, तहसील बस्सी।
10. कैलाश पुत्र स्व० गैदालाल जाति माली निवासी किशनपुरा, तहसील बस्सी।
11. जगदीश पुत्र स्व० गैदालाल जाति माली निवासी किशनपुरा, तहसील बस्सी।
12. संवक पुत्र स्व० सुवालाल जाति माली निवासी किशनपुरा, तहसील बस्सी।
13. रोशन पुत्र स्व० सुवालाल जाति माली निवासी किशनपुरा, तहसील बस्सी।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आंधी जिला जयपुर।
15. उप पंजियक महोदय, आंधी तहसील आंधी, जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपरिथत अभिभावक

श्री रामकरण शर्मा :- वकील वादी।

दावा बाबत बटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा-53, 188 आर०टी०एक्ट

:- निर्णय :-

वादी की ओर से एड० श्री रामकरण शर्मा ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खाता सं० 146 खसरा नम्बर 210 रकबा 2.9600 है० ग्राम धूलारावजी, पटवार हल्का धूलारावजी, तहसील आंधी, जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नहीं कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस-नरस के अनुसार हक व हिस्से को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावे। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 26.11.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार आंधी ने कुर्रजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने कुर्रजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का, अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम धूलारावजी, पटवार हल्का धूलारावजी, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ़

बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

:- वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-


क्र.सं.	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
46	अजीतसिंह पुत्र वीरीसिंह हि० 49/117 जाति जाट निवारी राजीव कॉलोनी मथूरा रोड, भरतपुर खातेदार, कन्हैयालाल पुत्र नाथूलाल हि० 1/72 जाति माली सा०देह, कृष्ण पुत्र नाथूलाल हि० 1/72 जाति माली सा०देह खातेदार, कौशल्या देवी पत्नि सोहनलाल हि० 1/18 सा० किशनपुरा खातेदार राहिन हि० 1/18 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जमवारामगढ, गैन्दालाल पुत्र ग्यारसीलाल हि० 1/9 जाति माली सा०किशनपुरा खातेदार, पपपूलाल पुत्र नाथूलाल हि० 1/72 जाति माली सा०देह खातेदार, मंजू पुत्री नाथूलाल हि० 1/72 जाति माली सा० देह खातेदार, महादेव पुत्र सुखा हि० 1/9 जाति माली सा०किशनपुरा खातेदार राहिन हि० 1/9 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जमवारामगढ	210	2.9600	चाही 4	-
	योग	किता 1	2.9600	-	-

:- प्रस्तावित :-

क्र.सं.	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
1	अजीतसिंह पुत्र वीरीसिंह हि० पूर्ण ब०ह० जाति जाट निवासी राजीव कॉलोनी मथूरा रोड, भरतपुर खातेदार,	210/1	1.24	चाही 4	-
	योग	किता 1	1.24	-	-
2	कन्हैयालाल, कृष्ण, पपपूलाल, मंजू पुत्र/पुत्री नाथूलाल हि० 411/4300, कौशल्या देवी पत्नि सोहनलाल हि० 411/4300 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जमवारामगढ सा०किशनपुरा खातेदार, गैन्दालाल पुत्र ग्यारसीलाल हि० 411/2150 सा० किशनपुरा खातेदार, महादेव पुत्र सुखा हि० 411/2450 सा० किशनपुरा खातेदार, हनुमान पुत्र छोदू हि० 917/2150 सा०किशनपुरा खातेदार समस्त जाति माली।	210	1.72	चाही 4	-
	योग	किता 1	1.72	-	-

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इकितनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 13/01/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी कापी  
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इवताई

(रूल्स 18-21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

अजितसिंह

बनाम

कन्हैयालाल वगै०

वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा०टी०एक्ट

मुकदमा नम्बर - 62/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री रामकरण शर्मा अधिवक्ता वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम धूलारावजी, पटवार, हल्का धूलारावजी, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

:- वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

क्रमांक	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
46	अजीतसिंह पुत्र वीरीसिंह हि० 49/117 जाति जाट निवासी राजीव कॉलोनी मथूरा रोड, भरतपुर खातेदार, कन्हैयालाल पुत्र नाथूलाल हि० 1/72 जाति माली सा०देह, कृष्ण पुत्र नाथूलाल हि० 1/72 जाति माली सा०देह खातेदार, कौशल्या देवी पत्नि सोहनलाल हि० 1/18 सा० किशनपुरा खातेदार राहिन हि० 1/18 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जमवारामगढ, गैन्दालाल पुत्र ग्यारसीलाल हि० 1/9 जाति माली सा०किशनपुरा खातेदार, पपपूलाल पुत्र नाथूलाल हि० 1/72 जाति माली सा०देह खातेदार, मंजू पुत्री नाथूलाल हि० 1/72 जाति माली सा० देह खातेदार, महादेव पुत्र सुखा हि० 1/9 जाति माली सा०किशनपुरा खातेदार राहिन हि० 1/9 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जमवारामगढ, हनुमान पुत्र छोटू हि० 29/117 जाति माली सा०किशनपुरा खातेदार राहिन हि० 29/117 पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जमवारामगढ	210	2.9600	चाही 4	-
	योग	किता 1	2.9600	-	-

:- प्रस्तावित :-

खाता संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
1	अजीतसिंह पुत्र वीरीसिंह हि० पूर्ण ब०ह० जाति जाट निवासी राजीव कॉलोनी मथूरा रोड, भरतपुर खातेदार, योग	210/1	1.24	चाही 4	-
2	कन्हैयालाल, कृष्ण, पपपूलाल, मंजू पुत्र/पुत्री नाथूलाल हि० 411/4300, कौशल्या देवी पत्नि सोहनलाल हि०	किता 1	1.24	-	-
		210	1.72	चाही 4	-

जमवारामगढ

411/4300 सलिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा  
जमवारामगढ़ साठ किरानपुरा खातेदार, गेन्दालाल पुत्र  
ग्यालसोलाल हि० 411/2150 साठ किरानपुरा खातेदार,  
महादेव पुत्र सुखा हि० 411/2150 साठ किरानपुरा  
खातेदार, हनुमान पुत्र छोदू हि० 917/2150  
साठ किरानपुरा खातेदार समस्त जाति माली।

योग	किता 1	172	-	-
-----	--------	-----	---	---

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्चू रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में आई आराजीयात में किरसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिक्की आज दिनांक 13/01/2025 को जारी की गई।

सुखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ़  
जमवारामगढ़

मिलान स्टाप अर्जी दावा

मुद्दे	मिलान स्टाप अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा	
	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			मुदालयह	
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वकालतनामा	
महन्तानावकील			स्टाम्प वजूह सबुत	
खर्चा गवाहान			महन्तानावकील	
बबतहजराय हुक्मनामा			खर्चा गवाहान	
मुत०			बबतहजराय हुक्मनामा	
मिलान			मुत०	
			मिलान	

सुखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ़  
जमवारामगढ़